अपील सूचना अधिकार संख्या 30/2017 अनवानी श्री राधेश्याम गोयल पुत्र स्व0 श्री भगवानदास गोयल जाति अग्रवाल निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर बनाम लोक सूचना अधिकारी, निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी, श्रीगंगानगर

31-07-2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल उपस्थित है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नहीं है। अपीलार्थी को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल का कथन है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 27.12.2016 के द्वारा चाही गई 4 बिन्दुओ की सूचना की राशि जमा करवाने के उपरान्त भी सहायक लोक सूचना अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा सूचनांए उपलब्ध नही करवाई गई है जो उसे उपलब्ध करवाने का आदेश प्रदान किया जावे एवं सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 20(1)(2) के तहत उन पर 25000रूपये जुर्माना लगाया जावे एवं उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे।

अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 27.12.2016 के द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी, श्रीगंगानगर से निम्न सूचनांए चाही थीः-

सूचना आयोग द्वारा पारित निर्णय की प्रतिलिपियां

1. अपील सं0 3094/2015 राधेश्याम बनाम अतिरिक्त जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर फैसला दिनांक 19.09.2016
2. अपील सं0 3236/2015 राधेश्याम बनाम अतिरिक्त जिला कलक्टर श्रीगंगानगर निर्णय दिनांक 21.09.2016
3. राधेश्याम बनाम अतिरिक्त जिला कलक्टर अपील सं 3237/15 निर्णय दिनांक 21.09.2016
   उपरोक्त तीनो अपीलो की प्रमाणित प्रतिलिपि।
4. अपील सं0 7855/15 राधेश्याम बनाम एडीएम की अपील के प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाछित सूचना के आवेदन की प्रमाणित प्रति।

अपीलार्थी के अपील पत्र पर सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर ने अपना प्रतिवेदन संख्या 2420 दिनांक 11.04.17 प्रस्तुत किया है कि उनके द्वारा आवेदक को पत्र सं0 2054 दि0 30.01.17 के द्वारा बिन्दु सं0 1 से 3 की सूचना हेतु 8 पृष्टो की सूचना के लिए 16 रूपये शुल्क जमा करवाने एवं बिन्दु सं0 4 की सूचना से संबंधित पत्रावली उनके कार्यालय के अधिकृत अधिवक्ता को जयपुर भिजवाई हुई है, प्राप्त होने पर सूचना दिया जाना संभव होगा। प्रार्थी द्वारा शुल्क जमा कराने पर दिनांक 25.01.17 को सूचना उपलब्ध करवाई जा चुकी है। बिन्दु सं0 4 की सूचना से संबंधित पत्रावली अब उन्हे प्राप्त हो चुकी है जिसके लिए प्रार्थी को सूचित किया जा रहा है।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उक्त प्रतिवेदन के सलंग्न अपीलार्थी के आवेदन पत्र दिनांक 16.01.17 के अनुसार अपीलार्थी द्वारा 20 रूपये के पोस्टल ऑर्डर जमा करवाकर दिनांक 25.01.17 को सूचना प्राप्त कर ली गयी है परिणाम स्वरूप अपीलार्थी द्वारा दिनांक 25.01.17 को सूचना प्राप्ती के हस्ताक्षर भी उपलब्ध है। इस प्रकार अपीलार्थी को बिन्दु सं0 3 की सूचना प्राप्त हो चुकी है जिस पर किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है।

बिन्दु सं0 4 की सूचना के संबंध में लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने उक्त प्रतिवेदन में संबंधित रिकार्ड अधिकृत अधिवक्ता जयपुर से वापिस प्राप्त होना बताया है।

अतः अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर लोक सूचना अधिकारी को आदेश दिया जाता है कि इस आदेश प्राप्ति से 7 दिवस के भीतर बिन्दु सं0 4 की सूचना अपीलार्थी को नियमानुसार उपलब्ध करवाई जावे। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 31.07.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

1569-70
18-8-17

(ज्ञाना राम)

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर